न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।
उपस्थित : प्रगति–I, उ०प्र० न्यायिक सेवा
(J.O. CODE– UP 3467)
प्रकीर्णवाद संख्या–252/2026
रविकांत बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०–155/2025
धारा 303(2) भा०द०सं०
थाना–सकीट, जिला एटा

06.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त साक्ष्य के अभाव में अन्तिम आख्या 48/2025, प्रस्तुत की गयी थी। उक्त आख्या को दिनांक 18.02.2026 को प्रकीर्णवाद के रूप में पंजीकृत कर वादी मुकदमा/प्राथमिकीकर्ता को नोटिस निर्गत किये गये थे, परन्तु वादी मुकदमा उपरोक्त दिवस व उसके उपरान्त नियत दिनांक/विगत दिनांक पर भी न्यायालय हाजिर नहीं आया है। संबंधित थाना पैरोकार द्वारा नोटिस वादी बाजातखास अमल में लायी गयी। न्यायालय द्वारा मुकदमा वादी को दिनांक 05.06.2026 को आपत्ति हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, परन्तु वादी मुकदमा की ओर से न्यायालय उपस्थित होकर अन्तिम आख्या पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले मे सम्पादित की गयी विवेचना भी तर्कसंगत एवं सही प्रतीत होती है एवं उस पर किसी प्रकार की आपत्ति भी दाखिल नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

––आदेश––

मु०अ०सं०–155/2025, अन्तर्गत धारा 303(2) भा०द०सं० .थाना–सकीट, जिला एटा के प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या–48/2025, स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–06.06.2026

(प्रगति–I),
न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा

Digitally signed by Pragati
Date: 2026.06.06 15:06:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court